भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 304
दिनांक 2 फरवरी, 2026

पेट्रोल और डीजल से प्राप्त राजस्व

304# **श्री नीरज डांगी:**
क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क के रूप में वर्तमान में सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी न करने के लिए जिम्मेदार हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का मानकीकरण (एक समान) करने पर विचार कर रही है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग) पेट्रोल और डीजल के मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित होते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं। पेट्रोल और डीजल के अंतिम विक्रय मूल्यों में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उत्पाद शुल्क और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा निर्धारित मूल्य वर्धित कर (वैट)/कर शामिल होते हैं। केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 और मई 2022 में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 13 रुपये प्रति लीटर और 16 रुपये प्रति लीटर की कमी करके पूरे देश में मूल्यों में एक समान रूप से कमी की। जबकि अधिकांश राज्य सरकारों ने नागरिकों को और अधिक राहत प्रदान करने के लिए वैट दर में कमी की, कुछ राज्य सरकारों ने ऐसा नहीं किया। अप्रैल 2025 में, पेट्रोल और डीजल, प्रत्येक के उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई, लेकिन यह वृद्धि उपभोक्ताओं पर नहीं डाली गई।

पीएसयू ओएमसी ने अंतरराज्यीय माल ढुलाई को भी सुव्यवस्थित किया है। इससे राज्यों के भीतर दूरस्थ क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल के मूल्यो में कमी के रूप में दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है, जो पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंटों (पीओएल) डिपो से काफी दूर हैं। इस पहल से राज्य के भीतर पेट्रोल या डीजल की अधिकतम और न्यूनतम खुदरा मूल्यों के बीच का अंतर भी कम हुआ है। माल ढुलाई दरों, वैट/स्थानीय करों आदि में भिन्नता के कारण देश भर के राज्यों में पेट्रोल और डीजल के मूल्य भिन्न-भिन्न होते हैं।

वर्ष 2020-21 से पेट्रोलियम क्षेत्र से सरकार द्वारा एकत्र किए गए उत्पाद शुल्क की राशि का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

'पेट्रोल और डीजल से प्राप्त राजस्व' के संबंध में श्री नीरज डांगी द्वारा दिनांक 02.02.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 304 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

सरकार द्वारा पेट्रोलियम क्षेत्र से एकत्र किया गया उत्पाद शुल्क

वर्ष	उत्पाद शुल्क (करोड़ रुपये में)
2020-21	3,72,970
2021-22	3,63,305
2022-23	2,87,575
2023-24	2,73,684
2024-25	2,71,529
एच1 2025-26 (पी)	1,30,092

स्रोत : पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

उपरोक्त जानकारी 15 प्रमुख तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है। कंपनियों द्वारा पीपीएसी को दी गई राशि कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की समेकित राशि है। (पी) - अनंतिम